

LT-8928/75-

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(i) AS G.S.R. NO. 1331. D. 14.12.74

.....

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi, the 28th November, 1974
7, Aghrayana, 1896 S.E.

NOTIFICATION

G.S.R.No. 1331.... In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fourth Amendment) Rules, 1974.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960:-
 - (i) in rule 13, in sub-rule (4), for the words "any lapse on the part of the applicant", the words and figure "any lapse on the part of the applicant in suppressing any material information while making an application under rule 9" shall be substituted;
 - (ii) in rule 25, in sub-rule (3) for the words "any lapse on the part of the applicant",

the words and figures "any lapse
on the part of the applicant in suppressing
any material information while making
an application under rule 22 or 28"
shall be substituted.

File No. 1(4)/71-MVI

Sd/-

(R.K.NAYAK)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Maya Puri,
Industrial Area,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

LT-8928/75.

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में जो० एस्० आर० 1331 के रूप में दिनांक 14-12-74 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली,

28 नवम्बर, 1974

7 अग्रहायण, 1896 (शक)

श्री धर्मपूजा

जो० एस्० आर० 1331 खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) को धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा खनिज विनियमन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1960 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

- 1- (1) इन नियमों को खनिज विनियमन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जायेगा।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे।

2- खनिज विनियमन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1960 में -

- (1) नियम 13 के उपनियम (4) में "आवेदक को और से को गई कोई भूल" शब्दों के स्थान पर "नियम 9 के अन्तर्गत आवेदन

--- 2/11

करते समय किसी खास जानकारी को छिपाने हेतु आवेदक को ओर से को गई कोई भूल" शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ।

(ii) नियम 25 के उप नियम (3) में "आवेदक को ओर से को गई कोई भूल" शब्दों के स्थान पर "नियम 22 अथवा 28 के अन्तर्गत आवेदन करते समय किसी खास जानकारी को छिपाने हेतु आवेदक को ओर से को गई कोई भूल" शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ।

फाइल सं० 1(4)/71-आन-6

हर ता०

(आर० के० नायडू)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार दफ्तरालय,

गांधीपुरी, औद्योगिक क्षेत्र,

रजौरी गार्डन, रिंज रोड,

नई दिल्ली ।

=====